(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या परिणाम निकला है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री: (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गजरौला में स्थित उद्योगों से निकलने वाले बहिस्रावों से बगड नदी, जो गंगा नदी में मिलती है, में कुछ सीमा तक जल प्रदूषण की समस्या होती है। तथापि, भूमिगत जल प्रदूषण की रिपोर्ट नहीं दी गई है। गजरौला में निलम्बित धूलकणों के परिवेशी स्तर मानकों से अधिक पाए गए।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गजरौला में उद्योगों की प्रदूषण नियंत्रण स्थिति की जांच की है। मैसर्स वाम आर्गेनिक कैमिकल्स ने अपेक्षित बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना कर ली है। तीन पेपर उद्योगों में से एक के पास पर्याप्त बहिस्राव शोधन संयंत्र हैं और बाकी दो अपने विद्यमान बहिस्राव शोधन संयंत्रों में संशोधन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33क के अन्तर्गत दो पेपर मिलों को मानकों का पालन न करने के लिए उन्हें 10.5.1996 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मैसर्स वाम आर्गेनिक कैमिकल्स (डिस्टिलरी यूनिट) का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित है।

Construction of overbridges in Gujarat

593. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of ongoing projects of railway overbridges in Gujarat at present;

(b) the number of such overbridges completed during the last three years;

(c) whether Government have chalked out any further programme for construction of more overbridges in the State; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) 6.

(b) 1.

(c) and (d) The system of replacing a busy level crossing by a road over/under bridge is that the State Governments propose the works giving priorities. The Railways then examine the cases and include such of them in the Works Programme for which various pre-requisite formalities have been completed by the State Governments. The railways while including the works in the Works Programme, also take into account the quantum of existing sanctioned works for that particular state and the pace at which work on approaches of these works are being executed by the State Govt.

उर्वरक के उत्पादन में गिरावट

594. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरक के उत्पादन में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार रखती है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों को घाटा हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) 1992-93 से उर्वरक पोषकों का उत्पादन नीचे दिया गया है:-

(लाख टन में)

वर्ष	नाइट्रोजन	फास्फेट
1992-93	74.30	23.06
1993-94	72.31	18.16
1994-95	79.45	24.93
1995-96	87.77	25.58

वर्ष 1992-93 के दौरान, नियंत्रणमुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप फास्फेटिक उर्वरकों के मूल्यों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई जिसके कारण फास्फेटिक उर्वरकों की खपत और उत्पादन में कमी हो गई। नाइट्रोजन पोषक के समग्र उत्पादन में भी कम्पलैक्स फास्फेटिक उर्वरकों से नाइट्रोजन के अंशदान में कटौती के कारण कमी दर्ज हुई। इस प्रवृत्ति में 1994-95 में बदलाव आया था।

(ग) उर्वरक उत्पादन में वृद्धि के लिए अपनाई गई रणनीति निम्नलिखित है:-

(1) घरेलू यूरिया उद्योग को प्रतिधारण मूल्य-व-राज सहायता योजना के माध्यम से सहायता दी जाती है।

(2) उर्वरक उद्योग को फीड स्टाक, ईंधन और रेल परिवहन के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है।

(3) उर्वरक संयंत्रों में फीड स्टाक तथा ईंधन के रूप में उपयोग किए जा रहे तरल पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति रियायती मूल्य पर की जाती है।

(4) सरकार की उदारीकरण नीति के एक अंग के रूप में अब उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(5) उर्वरक क्षेत्र में निवेश को अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरक उद्योग के लिए पूंजीगत माल की आपूर्तियों पर आयात शुल्क में छूट और सम निर्यात लाभों में रियायत उर्वरक संयंत्रों द्वारा लिए गए दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज दर में रियायत के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

(6) स्वदेशी डी.ए.पी. पर विशेष रियायत की दर को दिनांक 6.7.1996 से 1000 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। अन्य कम्पलैक्स उर्वरकों के संबंध में रियायत की दर में आनुपातिक बढ़ोत्तरी की स्वीकृति दी गई है। एस.एस.पी. के संबंध में विशेष रियायत की दर को 340 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति टन कर दिया गया।

उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों ने निम्नलिखित रणनीति अपनायी है:-

(i) वर्तमान उर्वरक संयंत्रों का विस्तार/रेट्रोफिटिंग/पुनरूद्धार।

(ii) नेफ्था पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाकर तथा वर्तमान में कार्यान्यवनाधीन संयंत्रों और परियोजनाओं में दोहरी ईंधन/फीड स्टाक सुविधाएं स्थापित करके प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में कठिनाइयों पर काबू पाना।

(iii) प्रचूर तथा सस्ती कच्ची सामग्री स्रोतों वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्थापना करना।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उर्वरक उपक्रमों को बजटीय सहायता भी दी गई है ताकि वे अपना उत्पादन जारी रख सकें।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक एककों को गत तीन वर्षों के दौरान हुए लाभ/हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों की लाभप्रदत्ता

(रू० करोड़ में)

उपक्रम का नाम	शुद्ध लाभ/शुद्ध हानि (-)		
	1993-94	1994-95	1995-96 (अनंतिम)
1. एन एफ एल	389.11	121.93	124.55
2. फैक्ट	12.41	78.71	76.76
3. आर सी एफ	-12.08	167.19	96.37
4. पी पी एल	47.36	27.68	2.22
5. एम एफ एल	-58.49	7.53	21.07
6. पी पी सी एल	-15.52	-5.88	0.31
7. एफ सी आई	-272.60	-336.13	-426.62
8. एच एफ सी	-366.73	-395.79	-466.52
9. पी डी आई एल	-12.93	-6.32	4.19

Review of the functioning of community polytechnics

595. SHRI MD. SALIM:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under the Chairmanship of Shri M.M. Luther, an Expert Committee was formed to review the functioning to the community polytechnics;

(b) if so, the details thereof;

(c) when was it expected to submit the report and whether Government have been in receipt of any such report;

(d) if not, the reasons for delay and the expenditure incurred by the Committee; and

(e) the time by which the Committee will submit its report?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPTT. OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT